हरियाणा सरकार
कृषि विभाग

किसानों/गौशालाओं हेतू विशेष दिशा–निर्देशः–

1. किसान चारा बिजाई योजना (बाजरा, मक्का, ज्वार) का हरे चारा/अनाज के लिए पूछे गये ऑपशन में हरे चारे के लिए फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दिनांक 01.06.2022 से 15.06.2022 तक करवाना सुनिश्चित करें।
2. किसान अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर हरे चारे के लिए आवेदन करने के उपरांत पंजीकृत गौशाला से संर्पक कर अधिकृत व्यक्ति से अपना आवेदन पूरा करवायें।
3. एक किसान को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए का अनुदान अधिकतम 10 एकड़ का लाभ ले सकता है जोकि 1 लाख रुपए प्रति किसान है। डी0बी0टी0 के माध्यम से उसके बैंक खाते में किया जाएगा।
4. पंजीकृत गौशाला जिस किसान से हरा चारा प्राप्त करेगी उस किसान के मोबाईल न0 से या उसकी आई0डी0 से अपनी पंजीकृत गौशाला रजिस्ट्रड नंबर व अधिकृत व्यक्ति के मोबाईल न0 या पोर्टल के अधिकारी अनुभाग से गौशाला पर क्लिक करके किसान व गौशाला के बीच का अनुबंध पत्र पोर्टल पर डाल देगा। तब यह प्रक्रिया पूर्ण समझी जायेगी।
5. किसान से गौशाला द्वारा हरा चारा लेने के उपरांत कि मैने चार प्राप्त कर लिया है, यह भी गौशाला का अधिकृत व्यक्ति पोर्टल पर डाल देगा।
6. किसान व पंजीकृत गौशाला अधिक जानकारी के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वैबसाइट "http://fasal.haryana.gov.in" पर संपर्क करें।
7. पंजीकृत गौशालाएं जिनके पास 100 पशुओं से कम पशु है वह 10 पशुओं पर प्रति एकड़ की दर से चारा चयनित किसान से सबसीडी पर प्राप्त कर सकता है। गौशाला अधिकतम 10 एकड़ चारा प्राप्त कर सकती है।
8. सम्बन्धित गौशाला चयनित किसान की पूरी जानकारी 30 जून तक सम्बन्धित उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करवाएगी जिससे कि उसका भौतिक सत्यापन समय पर किया जा सके।
9. सम्बन्धित गौशाला द्वारा चारे की मात्रा एवं कीमत सत्यापित की जाएगी, उसके बाद भौतिक सत्यापन उपरांत सम्बन्धित उप कृषि निदेशक की सिफारिश अनुसार किसान को डी0बी0टी0 के माध्यम से सबसीडी जारी की जाएगी।